

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad, DIST- Bhind (M.P.)

Case No.....

Complaint or report made on .....

Name and address of the Complainant .....

का गुप्त  
मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
मि. १६  
प्रा.मि. ५१५  
प्रा.मि. ५१५

Name, parentage, caste and address of accused

जि. २ मि. ३/० रा. रा. ओ. ५३ मा. ल  
न. १०७ प. १३७५  
प्रा.मि. ५१५

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक २५/०३/१७ को समय लगभग २:०० बजे, स्थान  
प्रा.मि. ५१५ अंतर्गत थाना प्रा.मि. ५१५ में वाहन १०७  
१०७७ प. १३७५ को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे आहत  
को साधारण उपहति कारित हुई इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो  
कि भा०द०वि० की धारा २७७ के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय  
के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt. Bhind (M.P.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।

मि. १६

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt. Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the  
value of the property in respect of which the offence has been committed.



// निर्णय //

(आज दिनांक 26/7/17 को घोषित)


01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भादवि की धारा 279 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को भादवि की धारा 279 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, भादवि की धारा 71 एवं दप्रस की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं रुपये 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तपुदा सम्पत्ति वाहन 20 को MP-7H B0507 को उसके प्रजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

  
Judicial Magistrate First Class  
(आयुक्त प्रजिस्ट्रेट प्रथम क्लास)  
मेरठ